न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–50/2018–19

श्रीमती प्रतिभा जैन..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू एवं अन्य..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
24.08.18	(see below)	

अपीलार्थी श्रीमती प्रतिभा जैन, पति–अनुप कुमार जैन, ग्राम–पुराना थाना रोड तमाड़, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–93 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–10/09/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	227	2646	05 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी ने रजिस्ट्री डीड नं०–181/181 द्वारा दिनांक–21/04/2015 को क्रय किया है। उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी का शान्ति पूर्ण दखल–कब्जा है। उक्त भूमि विवाद ग्रस्त नहीं है, बिल्कुल साफ एवं पाक है। अपीलार्थी उपरोक्त भूमि विक्रेता राजकिशोर प्रजापति पिता–स्व० विश्वनाथ प्रजापति जाति कुम्हार ग्राम–ब्लॉक रोड बुण्डू के अपने हिस्से की भूमि खरीद किये हैं। अंचल कार्यालय, बुण्डू में अपीलार्थी मूल कागजात के साथ उपस्थित नहीं हुआ जिससे नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–93 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–10/09/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार विक्रेता पंजी।। रैयत पोता है। जिन्होंने अपने हिस्से की भूमि बिक्री किया है। उक्त भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है। आवेदित भूमि आदिवासी खाते एवं गैरमजरूआ खाते की नहीं है। सुनवाई की निर्धारित तिथि को सूचना के बावजूद आवेदक मूल कागजात के साथ उपस्थित नहीं हुआ। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू, को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 24/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

(हस्ताक्षर) 24/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।